



वास्तविक खेतिहर/बटाईदार किसान के लिए स्व:अभिप्रमाणित एवं सत्यापित भूमि घोषणा पत्र

आवेदक किसान जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक से नीचे दिये गए प्रपत्र का सत्यापन कराने के बाद ही आवेदन के साथ प्रपत्र संलग्न करें | जनप्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य) में से कोई एक एवं कृषि समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना मेरे आवेदन आवेदन को निरस्त समझा जायेगा |

मैं किसान पिता/पति.....
गाँव का नाम पंचायत प्रखंड
..... जिला का निवासी हूँ एवं घोषणा
करता/करती हूँ कि मैं वास्तविक खेतिहर हूँ, मेरे द्वारा खरीफ 2023-2024 में डीजल पम्पसेट से
निम्न भूमि पर पटवन का कार्य दिनांक 22.07.2023 से 30.10.2023 के बीच किया गया है:-

क्रम	थाना	खेसरा संख्या	भू-धारी का नाम	चौहद्दी के किसान का नाम	कुल खेती का रकवा	पटवन का रकवा

गवाह के रूप में अगल बगल के दो किसानों के नाम, पता मोबाइल संख्या एवं हस्ताक्षर निम्न हैं :-

किसान का नाम	पता	मोबाइल संख्या	हस्ताक्षर

दिनांक:

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

सत्यापन प्रपत्र

उपरोक्त विवरणी के अनुसार किसान वास्तविक खेतिहर/ बटाईदार एवं किसान ने उपरोक्त भूमि पर डीजल पम्पसेट से पटवन का कार्य दिनांक 22.07.2023 से 30.10.2023 के बीच किया है |

वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत
समिति के सदस्य में से कोई एक का हस्ताक्षर

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर